उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील वाद सं0 23/2022–23

संजय सोरेन.....अपीलकर्त्ता

बनाम

प्रकाश सोरेन एवं अन्य.....उत्तरकारी।

आदेश

02.12.2022

यह रे0मि0 (प्रधानी) अपील भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–11/2021–22 में पारित आदेश दिनांक–04.03.2022 के विरूद्ध में दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उल्लेखित मुख्य तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा–लखनपुर, अंचल–शिकारीपाड़ा एक प्रधानी मौजा है। मौजा का अंतिम गेंजर प्रधान सिदो सोरेन थे। उनके मृत्यु के पश्चात् से मौजा खास है। अपीलकर्त्ता द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 एवं उत्तरकारी द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत निम्न न्यायालय में दायर आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा से उक्त संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उत्तरकारी पूर्व प्रधान सिदो सोरेन के वंशज के अन्तर्गत आता है। अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया। मौजा के 16 आना रैयतों द्वारा उत्तरकारी के प्रधान नियुक्ति के विरूद्ध निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया, जिस पर पुनः निम्न न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा ने अपने पत्रांक–109/रा0, दिनांक–01.02.2022 के द्वारा बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित किया गया, जिसमें उत्तरकारी के विरूद्ध लगाया गया सभी आरोपो को निराधार पाया गया। तत्पश्चात् उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क निम्न प्रकार है :–

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा के गेंजर प्रधान के मृत्यु के पश्चात् कोई भी प्रधान नियुक्त नहीं हुआ है। नियमानुसार अंचल अधिकारी को तीन माह के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु उपायुक्त को प्रतिवेदन समर्पित किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

उत्तरकारी के विरूद्ध रैयतों द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन दिया गया है, जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा सही जॉच नही किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित किया जाय।

नोटिस तामिला के पश्चात् भी उत्तरकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। फलस्वरूप उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न प्रकार है :–

अंचल अधिकारी, शिकारीपाड़ा ने अपने पत्रांक–1008/रा0, दिनांक–13.11.2021 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उत्तरकारी गेंजर प्रधान सिदो सोरेन के वंशज है। अंचल अधिकारी द्वारा उत्तरकारी को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम नियम के धारा–6 के अन्तर्गत मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

इसी आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका द्वारा उत्तरकारी को मौजा का प्रधान पद पर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया।

प्रावधान

Sec-6 Landlord to report the death of village headman. – When the village headman of a village which is not khas dies the landlord of the village shall report the fact within three months of its occurrence to the Deputy Commissioner with a view to the appointment of a village headman in the prescribed manner.

पुनःश्च Schedule V of the Santhal Pargana Tenancy (Supplementary) Rules, 1950 provide for the rules for the appointment of headmen.

"In appointing headmen the following rules should be taken into consideration: The headman must be a resident of the village or his permanent home must be within one mile of the village.

The appointments of headmen shall be made in accordance with village customs, and before confirming any appointment, the Deputy Commissioner shall satisfy himself that the candidate is generally acceptable to the raiyats, and an opportunity shall also in every instance, be afforded to the proprietor to object to any candidate."

Smt. Swarnlata Devi vrs State of Jharkhand and others, 2003 (3) JLJR 724. के वाद में माननीय उच्च न्यायालय के Division Bench द्वारा स्थापित किया गया है किः–

"Section-6 refers to the appointment of a Headman of a village which is not a khas village, by providing that on the death of Headman, the same has to be reported within three month of the death to the Deputy Commissioner with a view to appoint a village Headman in the prescribed manner.

It is in this context that the clause in Schedule V are relevant and Clause 4 thereof clearly shows that the next of their of the deceased Headman, unless he is disqualified, shall be the successor Headman of the village. The procedure laid down in Rule 3 of the General Rules is seen to relate to the appointment of Headman on application under section 5 of the Act."

पुनः उक्त वाद में यह भी उल्लेखित है कि :–

"**Section-5** relates to the appointment of village Headman of a *khas* village. In the case on hand, the village is not *khas* village. Therefore, the office of the Pradhan, Prima facie, is hereditary in nature and the next heir who is fit, is entitled to be the headman, But Rule 3(5) of the General Rules prescribes that in making the appointment of a Headman under section 5 or 6 of the Act, the Deputy Commissioner shall ,as far as, possible, follow the rules prescribed in Schedule V except where the rules, of which clasue 3 forms a part, expressly or by necessary implication, provides otherwise."

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा सरकारी अधिवक्ता को सूनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के गेंजर प्रधान सिदो सोरेन थे, उत्तरकारी गेंजर प्रधान के वंशज के अन्तर्गत आते है। अंचल अधिकारी द्वारा उत्तरकारी पर लगाये गये सभी आरोपों जाँचोपरांत को निराधार पाया गया है। तथा उन्हें प्रधान पद के लिए योग्य पाया गया है। फलस्वरूप संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत उत्तरकारी को निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है।

उक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है तथा अपील आवेदन को खारीज करने योग्य है।

आदेश

उल्लेखित तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही प्रतीत होता है। इस पर किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.17 14:46:15 +05:30
Location: 169.254.227.244